

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./
प्रति,

1468

/2021/रायगढ़, दिनांक - 12-03-2021

Chief General Manager
NTPC Talaipali Coal Mining Project
Lailunga Raod Gharghoda
Raigarh (C.G.)

विषय :-

Diversion of 1.732 ha. forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for "Widening of the existing PMGSY road from the Villages Salhepali to Kotrimal, from Auraimuda to term and at village Kanchanpur revenue forest in Raigarh Forest Division- reg. पंजीयन क्रमांक:- (FP/CG/ROAD/39744/2019)

संदर्भ:-

- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ.नं.-एफ.सी.-1/आर.ओ.सी.एच.-03/2021-एन.जी.पी./12 दिनांक 23.02.2021
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-784/541 रायपुर दिनांक 25.02.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ.नं.-एफ.सी.-1/आर.ओ.सी.एच.-03/2021-एन.जी.पी./12 दिनांक 23.02.2021 द्वारा "Widening of the existing PMGSY road from the Villages Salhepali to Kotrimal, from Auraimuda to term and at village Kanchanpur हेतु प्रभावित कुल 1.732 हे. वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों (i से xxi) का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र प्रेषित करें एवं निम्नानुसार राशि जमा करें।

- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु वर्तमान मजदूरी दर अप्रैल 2020 में देय दर अनुसार लागत राशि रुपये प्रति हेक्टेयर 7,26,270/- की दर से दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र रकबा 3.464 हे. का राशि रुपये 2515799/- (रुपये पच्चीस लाख पन्द्रह हजार सात सौ निन्याबे) मात्र जमा करें।
- समादेश याचिका (सी) क्रमांक 202/1995 के अंतर्गत आई.ए. क्रमांक 556 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार तथा मंत्रालय के पत्रांक दिनांक 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली 1.732 हे. की खुला वन भूमि के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) राशि इको वेल्यु क्लास-III खुला वन अनुसार प्रति हे. 6.26 लाख अनुसार राशि रुपये 1084232/- (रुपये दस लाख चौरासी हजार दो सौ बत्तीस रुपये) मात्र जमा करें।

- 3) अधिरोपित शर्त क्रमांक iii के पालन आवेदित क्षेत्र को 04 फीट ऊँची आर.सी.सी. पीलर्स द्वारा सीमांकित किये जाने हेतु राशि रु. 637725/- (रु. छः लाख सैतीस हजार सात सौ पच्चीस) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम तैयार कर जमा करें।
- 4) वृक्ष विदोहन की राशि योजना अनुसार 26088/- (रुपये छब्बीस हजार अठ्ठासी) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम तैयार कर जमा करें।

बिन्दु क्रमांक 01, 02 की राशि कैम्पा कार्पोरेशन बैंक में ई-पेमेंट के माध्यम से वेब पोर्टल द्वारा चालान जनरेट कराकर नोडल कार्यालय से अनुमोदन उपरांत जमा करें।


वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 1469
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

/2021/रायगढ़, दिनांक -12-03-2021

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर रायपुर छ.ग. की ओर सूचनाथ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़